



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के 03 अभियुक्तगणों को आजीवन कारावास व ₹21000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं० -334/12 धारा-302, 201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय पाक्सो कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.शिवपाल कोटेदार पुत्र अल्लू 2. रम्मू पुत्र अल्लू 3.विमल पुत्र रम्मू नि०गण परमपुरवा थाना मटौंध जनपद बांदा को आजीवन कारावास व ₹21,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश  
गोस्वामी



विवेचक-  
निरी० संतलाल  
यादव



पैरोकार- थाना मौदहा  
का० शुभम यादव